

### स्वीकृति पत्र

बरेली विकास क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण विकास हेतु

कावेरी इण्टरप्राइजेज पार्टनर

श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री प्रीतपाल सिंह

निवासी-१७-ए, मॉडल टाउन, बरेली।

निर्माण स्थल- खसरा नं०-२७०, २७१, २६७ (पार्ट) ग्राम करौना बदारौ रोड, बरेली।

आपके मानचित्र सं०-२३/०२/एस०डी०/१३ दिनांक २५-०४-२०१३ के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक ११-०७-१४ के क्रम में निर्माण करने की अनुज्ञा निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। यदि आपके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत बिधिक कार्यवाही के साथ-साथ यह स्वीकृति भी निरस्त हो जायेगी, और निरस्तीकरण के कारण जो भी विवाद होगा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

- स्वीकृत मानचित्र स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तों के साथ ही वैध होगा।
- निर्माण हेतु प्रदत्त अनुज्ञा मानचित्र निर्गत की दिनांक से ०५ वर्ष की अवधि के लिए ही वैध होगी।
- भू-स्वामी/आवेदक द्वारा यदि निर्धारित पंच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि में प्रस्तावित निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है, तो उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व भू-स्वामी/आवेदक को नवीनीकरण की अनुमति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
- अनुज्ञा के अनुसार भवन का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है जिस हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी है।
- प्रदत्त अनुज्ञा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन रहेगी एवं पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अनुज्ञा के अधीन निर्माण प्रारम्भ करने पर उसकी सूचना विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-६) में आवेदक/भवन स्वामी द्वारा विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त भवन में अध्यासन से पूर्व निर्माण कार्य का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन अथवा उसके किसी अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।
- प्रस्तावित निर्माण, सुसंगत भारतीय मानक संस्थान, नैशनल बिल्डिंग कोड-२००५ तथा बी०आई०एस० के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्प रोधी व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण एवं अन्य संकटमय दृष्टिकोण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कराया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति पत्र संख्या-१५९३/एन०ओ०सी०-४४६६/१३ दिनांक १०-१२-१३ में अंकित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी पत्रांक संख्या-६०७/सम्पत्ति/२०१३-१४ दिनांक २५-०९-१३ के अनुसार प्राप्त अनापत्ति का अनुपालन करना होगा।
- प्रस्तावित भवन निर्माण के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि-२००८ एवं शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप सोलर पेंसिव प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
- प्रस्तावित भवन निर्माण के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि-२००८ एवं शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
- शासनादेश के अनुरूप स्थल पर कम से कम ५० वृक्षों का रोपण कराना अनिवार्य है।
- प्रदत्त अनुज्ञा किसी भी समय प्राप्त प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार से यह ज्ञात होने पर कि यदि आवेदक/भवन स्वामी द्वारा प्रस्तावित निर्माण की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मिथ्या वर्णित अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्त की गयी है, पायी जाती है, तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य/निर्माण ऐसी अनुज्ञा के बिना किया समझा जायेगा अर्थात् अवैध होगा तथा उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
- स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर सदैव रखना अनिवार्य है, जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण के दौरान देख सके।
- समस्त निर्माण मानचित्र में दिये गये विवरण के अनुसार किया जायेगा। निर्माण के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में यदि कोई विचलन है, या विचलन किया जाना अभिप्रेत है तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- आन्तरिक विकास शुल्क के मद में बंधक रखे गये भवनों/भूखण्डों को स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने एवं प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अवमुक्त किया जायेगा।
- आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित करने का उत्तरदायित्व आवेदकगण का होगा एवं हस्तगत होने तक विकास कार्यों का अनुरक्षण भी आवेदकगण द्वारा ही किया जायेगा।
- मानचित्र पर दर्शायी गयी सर्विसेज के अनुरूप स्थल पर समस्त विकास/निर्माण कार्य कराना होगा।
- स्वीकृत टाइप डिजाइन के अतिरिक्त अवशेष प्रस्तावित भूखण्डों पर प्राधिकरण से नियमानुसार वांछित देय शुल्को का भुगतान करके पृथक-पृथक भवनों के मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कराया जायेगा तथा व्यवसायिक भूखण्डों पर भी निर्माण से पूर्व पृथक से मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- भविष्य में सम्भावित विशिष्ट अवस्थाना सुविधाओं पर आने वाले समानुपातिक व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- विकासकर्ता द्वारा अपनी कालोनी में जलापूर्ति संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था (जल नालिकाओं को बिछाने कार्य सहित) स्वयं करनी होगी भविष्य में पानी की आपूर्ति हेतु बरेली विकास प्राधिकरण से मांग नहीं करेगी।
- विद्युत वितरण हेतु पोल एवं तार आपूर्ति का कार्य स्थल पर आवेदकगण द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मानकों के अनुरूप कराना होगा।
- प्रस्तुत स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यथा पारित आदेशों (यदि कोई हों) के अधीन रहेगी।
- स्थल को सीमांकित करते हुए प्राधिकरण के पास बंधक रखे जाने वाली भूमि का भी सम्पूर्ण विकास/निर्माण करना होगा। आवेदकगण/विकासकर्ताओं द्वारा मानचित्र में अंकित माप व सर्वे के अनुसार विकास कार्य के दौरान कोई भी त्रुटि अथवा परिवर्तन पाये जाने पर आवेदकगण/विकासकर्ता का उत्तर दायित्व होगा।
- निर्माण के समय आवेदक को एक बोर्ड पर मानचित्र की स्वच्छ छायाप्रति चरम कर स्थल के फ्रन्ट पर जो सड़क से दिखे, लगानी होगी।